न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/144 दायरा दिनांक : 15.09.2023

उनवान

1. बगदीराम आयु 58 वर्ष आत्मज नन्दा, जाति मेघवाल, निवासी रामठी, वार्ड नं. 17, भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज0)
2. कैलाश आयु 45 वर्ष आत्मज नन्दा, जाति मेघवाल, निवासी रामठी, वार्ड नं. 17, भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज0)
3. प्रेमबाई, आयु 48 वर्ष आत्मजा नन्दा पत्नी राजाराम, जाति मेघवाल, निवासी तहसील के सामने पचपहाड, जिला झालावाड, (राज0)
4. गुड्डी बाई आयु 40 वर्ष आत्मजा नन्दा पत्नी हीरालाल, जाति मेघवाल, निवासी रामनगर भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज0)
5. प्रहलाद आयु 52 वर्ष आत्मज कन्हैयालाल, जाति मेघवाल, निवासी रामठी, वार्ड नं. 17, भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज0)
6. रामीबाई आयु 45 वर्ष आत्मजा कन्हैयालाल पत्नी शिवजी, जाति मेघवाल, निवासी जवाहर कालोनी, बसस्टैण्ड भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज0)
7. सीता बाई आयु 38 वर्ष आत्मजा कन्हैयालाल पत्नी अमरलाल, जाति मेघवाल, निवासी जवाहर कालोनी, बसस्टैण्ड भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज0)
8. राजू बाई आयु 45 वर्ष आत्मजा कन्हैयालाल, जाति मेघवाल, निवासी जवाहर कालोनी, बसस्टैण्ड भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज0)
9. हरीश आयु 18 वर्ष पुत्र मृतक कलाबाई जगदीश, जाति मेघवाल, निवासी काल्याखेडी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)
10. मदन बाई आयु 65 वर्ष पत्नी रामचन्द्र, जाति मेघवाल, निवासी रामठी, वार्ड नं. 17, भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज0)
11. संगीता आयु 28 वर्ष आत्मजा मांगीलाल पत्नी दिनेश, जाति मेघवाल, निवासी कल्याणपुरा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)
12. यशोदा आयु 24 वर्ष आत्मजा मांगीलाल पत्नी यशवन्त, जाति मेघवाल, निवासी कुण्डारिया, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)
13. सुशीला आयु 22 वर्ष आत्मजा मांगीलाल पत्नी अमरलाल, जाति मेघवाल, निवासी नीमथुर, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)
14. दौलत आयु 48 वर्ष आत्मज रामचन्द्र, जाति मेघवाल, निवासी रामठी, वार्ड नं. 17, भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज0)
15. उमेश आयु 23 वर्ष आत्मज रंगलाल, जाति मेघवाल, निवासी रामठी, वार्ड नं. 17, भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज0)
16. दिनेश आयु 18 वर्ष आत्मज रंगलाल, जाति मेघवाल, निवासी रामठी, वार्ड नं. 17, भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज0)
17. कंचन आयु 62 वर्ष पत्नी भागीरथ, जाति मेघवाल, निवासी रामठी, वार्ड नं. 17, भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज0)
18. छीतर आयु 52 वर्ष पुत्र शंकरीबाई/भैरूलाल, जाति मेघवाल, निवासी लेदीगांव, तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)
19. धन्नालाल आयु 45 वर्ष पुत्र शंकरीबाई/भैरूलाल, जाति मेघवाल, निवासी पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)
20. रंगलाल आयु 30 वर्ष पुत्र भैरूलाल, जाति मेघवाल, निवासी लेदीगांव, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)

.... अपीलांट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 23.01.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 99/405 निर्णय दिनांक 20.06.1977 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी सं. 1 एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रामठी में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 119 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 20.06.1977 से स्वीकार कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांटगण ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली तलबी में चलने के दौरान ही उस पर निर्णय पारित कर विधि द्वारा निर्धारित प्रकिया अपनाये निर्णय पारित किया है जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों की पालना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद पूरा के कथन पर उसके हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा नहीं है। कथन को प्रथम दृष्टया देखने पर ही ऐसा लगता है कि प्रोफार्मा पर नाम व पते बाद में लिखे गये हैं वह भी अलग अलग स्याही से। उक्त बेचानशुदा भूमि पर कभी भी कब्जा खरीददार का नहीं रहा है। जब तक पूरा आत्मज कालू चमार, निवासी रामठी जिन्दा थे उनका कब्जा तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त इस भूमि पर उनके वारिसान का कब्जा चला आ रहा था तथा वर्तमान में उनके वारिसान के रूप में अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र व निर्णय में वर्णित भूमि ग्राम रामठी में दर्ज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के उपरान्त जो नामान्तरकरण सं. 94 दर्ज किया उसमें ग्राम भवानीमण्डी की खसरा नं. 147 रकबा 19 बिस्वा भूमि दर्शायी है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम अन्जाने ऑर्गेनिक हर्बल प्रा0 लि0 के प्रकरण सिविल अपील संख्या 6741 से 6743 वर्ष 2012 विनिश्चित दिनांक 20 सितम्बर, 2012 में यह विनिश्चित किया गया कि अन्तरण शून्य होने की स्थिति में राज्य भूमियों का कब्जा ले सकता है और उन्हें अनुसूचित जाति के सदस्यों के होने के कारण मूल स्वामियों को लौटा सकता है। विवाद बिन्दु के तथ्यों व परिस्थितियों पर गहराई से विचार करना एवं मनन करना आवश्यक होता है जिसका निर्णय में अभाव है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.06.1977 को अपास्त किया जाकर खातेदार पूरा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
उप-खण्ड अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

के वर्तमान वारिसान के नाम उक्त वर्णित भूमि ग्राम भवानीमण्डी खसरा नं. 147 रकबा 19 बिस्वा (0.2403 हेक्टर) को खातेदारी में दर्ज किये जाने का अनुतोष प्रदान किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.09.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.06.1977 का है। 2020 (1) डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) पेज 707 वोईड डिक्री है या नहीं देखना चाहिए। दिनांक 08.12.1976 को दावा पेश किया। खसरा नं. 119 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार पूरा था। खसरा नं. 119 रकबा 1.09 बीघा का रजिस्टर्ड बेचान रतनलाल को किया गया जो कि सवर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय में पूरा ने जवाब पेश किया था। धारा 175 (42) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में कब्जे का अन्तरण देखना आवश्यक है। इस प्रकरण में कब्जे का अन्तरण नहीं हुआ है। विक्रय शून्य होने से विवादित आराजी मूल खातेदार को लौटा दी जाये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 2013 (1) एस.सी.सी.डी. पेज 167(एस.सी.), 2016 (2) आर. आर.टी. पेज 732, 2016 (1) आर.आर.टी. पेज 416 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित किया कि खातेदार पूरा पुत्र कालू, जाति चर्मकार, निवासी रामठी के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 119 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा बाद सैटलमेंट खसरा नं. 147 रकबा 19 बिस्वा थी। खातेदार (अपीलार्थीगण) ने दिनांक 23.05.1969 को भूमि का बेचान जर्ये रजि0 विक्रय पत्र रतनलाल पुत्र सरूपलाल, जाति बाबा, निवासी रामठी को कर दिया। विक्रेता खातेदार अनुसूचित (एस.सी.) वर्ग का सदस्य है जबकि क्रेता सवर्ण जाति का है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन है। विवादित भूमि को अवैध रूप से अंतरण किये जाने के कारण क्रेता व विक्रेता को मौके से बेदखल कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत सिवायचक कर कब्जा राज लिये जाने का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय परगना अधिकारी झालावाड द्वारा दिनांक 20.06.1977 को किया गया जो विधि के अनुकूल है। अतः प्रकरण में अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.06.1977 को यथावत रखा जाना न्याय हित में होगा।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार पचपहाड द्वारा अन्तर्गत धारा 175, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 पूरालाल पुत्र कालू, जाति चमार ने ग्राम रावठी में अपनी आराजी खसरा नं. 119 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा को जरिये बैयनामा रतनलाल पुत्र स्वरूपनाथ, जाति नाथबाबा को उपपंजीयक पचपहाड में दिनांक 23.05.1969 को रजिस्टर्ड विक्रय कर निष्पादित कराते हुए अन्तरित की है। धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति अपनी भूमि को सवर्ण को विक्रय या काश्त के लिए नहीं दे सकता है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगणों से भूमि बेदखल कर तहसीलदार को बहक, सरकारी भूमि वापस संभलाये जाने के आदेश पारित करे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.06.1977 से प्रार्थी तहसीलदार पचपहाड का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर तहसीलदार पचपहाड को आदेशित किया कि ग्राम रामठी की खसरा नं. 119 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा आराजी को खातेदार के खाते से खारिज कर खाता सरकार दर्ज करें तथा आराजी पर कब्जा कर उसकी काश्त का इंतजाम करे। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.06.1977 से अप्रसन्न होकर अपीलांटगण द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न सम्मन नोटिस पर अंकित तामील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पक्षकार पूरा एवं रतनलाल को दिनांक 30.12.1976 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु जारी किये गये सम्मन की तामील दिनांक 18.12.1976 को करवाई गई। तामील रिपोर्ट पर पूरा की अंगूठा निशानी एवं रतनलाल के हस्ताक्षर अंकित है। इससे स्वतः साबित है कि पक्षकारान को न्यायालय में लंबित वाद की सूचना जर्ये नोटिस प्राप्त हो चुकी थी। पक्षकार पूरा पुत्र कालू चमार, निवासी रामठी, तहसील पचपहाड द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.06.1977 को जो जवाब पेश किया उस पर उसकी अंगूठा निशानी दर्ज है। जवाब में पूरा ने स्वयं स्वीकार किया है कि ग्राम रामठी की आराजी 1.09 बीघा स्वेच्छा से श्री रतनलाल पुत्र स्वरूपनाथ, जाति नाथबाबा को 500/– रूपये में बेची है जिससे मुझे व मेरे वारिसान को कोई उज्र व एतराज नहीं है। उक्त भूमि 8–10 साल विक्रय किये हो चुके है तथा कब्जा भी खरीददार रतनलाल को तभी से दे रखा है।

पूरा पुत्र कालू चमार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत उक्त जवाब के अवलोकन से यह साबित हो जाता है कि पूरा द्वारा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपने खाते की आराजी को बेचान गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को करते हुए कब्जा संभला दिया था। पक्षकार पूरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.01.1977 को प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि खरीददार के पक्ष मे प्रार्थी ने बैयनामा अवश्य कराया है किन्तु खरीददार का कभी भी प्रार्थी की आराजी पर कब्जा नहीं रहा है। इसी प्रकार प्रस्तुत अपील में भी अपीलांट का

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कथन है कि विवादित आराजी पर वर्तमान में भी अपीलांट का ही कब्जा काश्त है परंतु अपीलांट ने प्रस्तुत अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा साबित हो सके। धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के विरूद्ध किये गये बेचान के संदर्भ में धारा 175, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पक्षकार पूरा द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 20.06.1977 के अनुसार विधि सम्मत प्रतीत होने के कारण हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.1977 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/01/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा